

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

सं०सं०:-04/छा०-(E-Pass)-05/2016- 4360

प्रेषक,

सी० के० सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 10/12/18

विषय:- झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2590, दिनांक- 23.07.2018, पत्रांक-3339, दिनांक- 12.09.2018 एवं पत्रांक-3712, दिनांक- 15.10.2018


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षण सत्र 2018-19 में छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने से संबंधित निम्न कार्यवाहियों की तिथियों को निम्नवत् विस्तारित किया जाता है :-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि
1	सम्बंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	12.12.2018	24.12.2018
2	संस्थान स्तर पर आवेदनों के अग्रसारण की अंतिम तिथि	12.12.2018	31.12.2018

उक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति/विज्ञापन प्रकाशन कराते हुए इसकी सूचना सभी संबंधित को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन,


(सी० के० सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।